

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.11(7)/वित्त(नियम)/2008 दिनांक: 12.09.2008 एवं आदेश संख्या एफ. 11(7)/ वित्त(नियम) पार्ट-I/2008 दिनांक 06.08.2008 के अनुसरण में एवं राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान (संशोधित) नियम 1998 एवं राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 एवं 15 के तहत राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याताओं को कॉलम संख्या 07 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार वरिष्ठ वेतनमान/एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) ग्रेड पे/पे मैट्रिक्स लेवल कॉलम संख्या 09 के अनुसार, कॉलम संख्या 10 में अंकित तिथि से स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	नाम व्या. मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि) सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	विषय	जन्म तिथि	व्या. में चयन का प्रकार	प्रथम नियुक्ति तिथि/एसीपी गणना हेतु नियमित नियुक्ति तिथि	स्वीकृत एसीपी	वेतन बैंड	स्वीकृत ग्रेड पे/पे मैट्रिक्स लेवल	स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सुरेश चन्द्र पाटिदार आर.पी. (सीबीईओ) छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़	अंग्रेजी	14.01.1969	DPC	28.08.1990	III 30वर्षीय	—	एल-13	28.08.2020
2	रमेश चन्द्र सुरेडिया से.नि. व्या. वोपारी, पाली	अंग्रेजी	23.07.1957	RVRES	07.07.1992	10 वर्ष व0वे0	—	7500-12000	07.07.2002
						20 वर्ष	9300-34800	5400	07.07.2012
3	बोदन लाल रैगर से.नि. बलदेवगढ़, अलवर	अंग्रेजी	06.08.1960	RPSC	05.08.1995	10 वर्ष व0वे0	—	7500-12000	05.08.2005 (संशोधित)
4	श्रवण कुमार शर्मा से.नि. कांचरौली, करौली	अंग्रेजी	20.07.1951	DPC	01.11.1976	II 20 वर्ष	9300-34800	4800	01.09.2006
						III 30 वर्ष	9300-34800	5400	01.11.2006

नोट:- क्र.सं. 02 के संवध में निर्देशानुसार लेख है कि कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 29.11.2010 के नियम 05 के अनुसार भुगतान किये जाने की पूर्ण पालना संवधित प्रधानाचार्य/विद्यालय को करनी होगी।

उपरोक्त व्याख्याताओं का वेतन निर्धारण संवधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संवधित व्याख्याता की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित की जावें। आर वी आर ई एस कार्मिकों को निर्देशानुसार दिनांक 01.07.2011 से पूर्व का एरियर राज्य सरकार द्वारा देय नहीं है।


(सौरभ स्वामी)
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक :- 23/07/2021

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-1/एसीपी/अंग्रेजी/संस्कृत/2018-19-20

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.) मुख्यालय
3. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर